

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह(पुलिस) अनुभाग-2

संख्या:- 807/छ:-पु0-2-2016-1100(126)/2012

लखनऊ: दिनांक: 16 मार्च, 2016

**अधिसूचना**

संयुक्त प्रान्तीय प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी ऐक्ट, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40, सन् 1948) की धारा-15 के अधीन शक्ति और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

**उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016**

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 कही जायेगी।	
	(2)	यह गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।	
नियम-3 संशोधन	का 2.	उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (ज) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
परिभाषायें		(ज) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;	“विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी, उत्तर प्रदेश से है।
नियम-8 संशोधन	का 3.	उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-8 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
शैक्षिक अर्हता		<b>8(क) आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी:-</b> आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये। <b>(ख) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर:-</b> उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिये।	<b>8(क) आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी:-</b> आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता वही होगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो। <b>(ख) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर:-</b> उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता वही होगी जो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।

नियम-15 संशोधन	का 4.	उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
		स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती की प्रक्रिया		<p>प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये भर्ती प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी:-</p> <p><b>(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी</b> प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के नियम-15 में आरक्षी पुलिस की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया विहित होगी।</p>	<p>प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती निम्न प्रकार की जायेगी:-</p> <p><b>(1) प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी आरक्षी</b> प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षी की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।</p>
		<p><b>(2) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर</b> उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी तत्समय प्रवृत्त उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 के नियम-15 में उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया विहित होगी।</p>	<p><b>(2) उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर</b> प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के उपनिरीक्षक सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमाण्डर के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित की गयी हो।</p>

आज्ञा से,

देबाशीष पण्डा  
प्रमुख सचिव